



सुर्खियों में राज्यपाल: भारत में सुधार का आह्वान

यह एडिटरियल 03/01/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["Raj Bhavan needs radical reforms"](#) लेख पर आधारित है। इसमें लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के दैनिक-प्रतिदिन के कार्यकरण में राज्यपालों के कार्यालय द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और राज्यपाल के पद के संबंध में अपेक्षित सुधारों की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिस के लिये:

[राज्यपाल](#), [अनुच्छेद 200](#), [अनुच्छेद 201](#), [अनुच्छेद 361](#), [पुंछी आयोग](#), [राष्ट्रपति](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [धन वधियक](#), [अनुच्छेद 31A](#), [वेंकटचलैया आयोग](#), [राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत](#)।

मेन्स के लिये:

वधियकों के पारति होने से संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ, संबंधित चुनौतियाँ, विभिन्न समितियों द्वारा की गई सफारिशें और आगे की राह।

राज्यपाल (Governor) का पद हमारी राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय महत्त्व रखता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे हमारे लोकतांत्रिक शासन का एक महत्त्वपूर्ण तत्व माना जाता है जो सहयोग पर बल देने की भावना को प्रदर्शित करता है। हालाँकि, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों की भूमिका, शक्तियाँ और विकासधीन अधिकार लंबे समय से राजनीतिक, संवैधानिक एवं वधिक कषेत्रों में गहन बहस का विषय रहे हैं। वधियकों को अनुमति देने आदि विषयों में केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच हाल के विवाद ने वृहत रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

राज्यपाल का पद कैसे असत्त्व में आया?

- स्वतंत्रता से पहले:
 - वर्ष 1858 में भारत का प्रशासन ['ब्रिटिश कराउन'](#) के अधीन आने के साथ 'गवर्नर' का पद असत्त्व में आया। प्रांतीय गवर्नर कराउन के एजेंट थे, जो गवर्नर-जनरल के अधीक्षण में कार्य करते थे।
 - [भारत सरकार अधिनियम, 1935](#) के माध्यम से नरिदषित किया गया कि गवर्नर प्रांत की वधियका के मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन उसके पास विशेष उत्तरदायित्व और विकासधीन शक्ति अब भी बनी रही।
- स्वतंत्रता के बाद:
 - गवर्नर के पद पर [संवैधान सभा](#) में व्यापक बहस हुई, जहाँ नरिणय लिया गया कि ब्रिटिश काल में उसकी तय भूमिका को पुनःउन्मुख करते हुए इसे बनाए रखा जाए।
 - वर्तमान में, भारत द्वारा अपनाई गई शासन की संसदीय और मंत्रिमंडलीय प्रणाली के तहत गवर्नर (जहाँ हर्दि में अब 'राज्यपाल' शब्द का प्रयोग किया जाता है) को [किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख \(Constitutional Head\)](#) के रूप में परकिल्पति किया गया है।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन-से हैं?

- [अनुच्छेद 153](#) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नयिक्त किया जा सकता है।
 - अनुच्छेद 155 एवं 156 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को [राष्ट्रपति](#) अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधपित्त्र द्वारा नयिक्त करेगा और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
- [अनुच्छेद 161](#) में कषमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के नलिंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति का उल्लेख किया गया है।
 - [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा है कि किसी बंदी को कषमा करने की राज्यपाल की संप्रभु शक्ति का प्रयोग वास्तव में राज्य सरकार की सहमति से किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा अपनी इच्छा से।
 - वह राज्य सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य है।
- [अनुच्छेद 163](#) में कहा गया है कि जहाँ राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह विकासानुसार कार्य करे, उन विषयों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता एवं सलाह देने के लिये एक मंत्रपरिषद होगी जिसका प्रधान [मुख्यमंत्री](#) होगा।

- राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियाँ (Discretionary powers) नमिनलखिति परस्थितियों में प्रभावी होती हैं:
 - राज्य वधिनसभा में कसिी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नयुक्ति करना
 - अवशिवास प्रसतावों के दौरान
 - राज्य में संवैधानिक मशीनरी की वविलता के मामले में (अनुच्छेद 356)
- वधियकों को पारति करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियाँ संवधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 द्वारा परभाषति हैं। इन अनुच्छेदों के अनुसार, जब राज्य वधिनमंडल द्वारा राज्यपाल के समक्ष कोई वधियक प्रस्तुत कया जाता है तो उसके पास नमिनलखिति वकिल्प होते हैं:
 - वह वधियक पर अनुमति दे सकता है, जसिका अर्थ है कवधियक एक अधनियम बन जाता है।
 - वह वधियक पर अपनी सहमति रोक सकता है, जसिका अर्थ है कवधियक असवीकृत कर दया गया है।
 - वह वधियक (यदयिह धन वधियक नहीं है) को वधियक या उसके कुछ प्रावधानों पर पुनर्वचार के अनुरोध वाले संदेश के साथ राज्य वधियक को वापस कर सकता है।
 - यदवधियक को राज्य वधिनमंडल द्वारा संशोधनों के साथ या बना संशोधनों के दोबारा पारति कया जाता है तोराज्यपाल इस पर अपनी अनुमति नहीं रोक सकता।
 - वह वधियक को राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति कर सकता है, जो या तो वधियक पर अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है, या राज्यपाल को वधियक को पुनर्वचार के लयि राज्य वधिनमंडल को वापस करने का नरिदेश दे सकता है।
- अनुच्छेद 361 में कहा गया है ककसिी राज्य का राज्यपाल अपनी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लयि कसिी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा।

भारत में राज्यपाल के पद से संबंधति प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

- संबधता आधारति नयुक्ति: कई मामलों में देखा गया है कसित्तरादू दल से संबध राजनेताओं और पूर्व नौकरशाहों को राज्यपाल के रूप में नयुक्ति कया गया है।
 - इससे पद की नषिपक्षता और गैर-पक्षपातपूरणता पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही, राज्यपाल की नयुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करने की परंपरा की भी प्राय: अनदेखी की जाती है।
- केंद्र के परतनिधि से केंद्र के एजेंट की ओर: आजकल आलोचकों द्वारा राज्यपालों की 'केंद्र के एजेंट' होने के रूप में आलोचना की जाती है।
 - वर्ष 2001 में 'राष्ट्रीय संवधान कार्यकरण समीक्षा आयोग' ने माना कराज्यपाल अपनी नयुक्ति और पद पर बने रहने के लयि केंद्र के परत आभारी बना रहता है। इससे आशंकाएँ उत्पन्न होती हैं कवह केंद्रीय मंत्रपरिषद द्वारा दए गए नरिदेशों का ही पालन करेगा।
 - यह संवैधानिक रूप से नरिदषिट तटस्थता के वरिद्ध है और इसके परणामस्वरूप पक्षपात की स्थिति बनती है।
- वविकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग: कई मामलों में राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कया गया है।
 - उदाहरण के लयि, आलोचक आरोप लगाते हैं कराष्ट्रपति शासन के लयि राज्यपाल की अनुशंसा हमेशा 'वस्तुनिषिट सामग्री' (objective material) पर आधारति नहीं होती है, बल्कराजनीतिक सनक या कल्पना पर आधारति होती है।
- राज्यपालों को हटाना: राज्यपालों को पद से हटाने के कसिी लखिति आधार या प्रक्रया के अभाव में कई बार राज्यपालों को मनमाने ढंग से हटया गया।
- संवैधानिक एवं सांवधिक भूमिका के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं: मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करने का संवैधानिक नरिदेश कुलाधपति या 'चांसलर' के रूप में उसके सांवधिक प्राधिकार से स्पष्ट रूप से अलग नहीं है, जसिके परणामस्वरूप राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच वभिनि संघर्ष उत्पन्न होते हैं।
 - उदाहरण के लयि, हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा सरकारी नामांकन को दरकनार करते हुए एक वशिववदियालय में कुलपति की नयुक्ति की गई।
- संवैधानिक खामियाँ: संवधान में मुख्यमंत्री की नयुक्ति या वधिनसभा को भंग करने की स्थिति में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लयि कोई दशानरिदेश मौजूद नहीं है।
 - इसके साथ ही, इस बात की भी कोई सीमा नरिधारति नहीं है कराज्यपाल कसिी वधियक पर कतिने समय तक अपनी अनुमति को रोके रख सकता है।
 - इसके परणामस्वरूप, राज्यपाल और संबधति राज्य सरकारों के बीच मनमुटाव पैदा होने की संभावना बनती है।

वभिनि समतियों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए प्रमुख संवैधानिक सुधार कौन-से हैं?

- सरकारया आयोग (1988):
 - राज्यपाल की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबधति राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद की जानी चाहयि।
 - राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के कसिी क्षेत्र में परतषिटति व्यक्त होना चाहयि और उस राज्य से संबधति नहीं होना चाहयि जहाँ वह नयुक्ति कया गया है।
 - दुर्लभ एवं बाध्यकारी परस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटया जाना चाहयि।
 - राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहयि न ककेंद्र के एजेंट के रूप में।
 - राज्यपाल को अपनी वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग संयमति एवं वविकपूरण तरीके से करना चाहयि और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रया को कमजोर करने के लयि नहीं करना चाहयि।
- एस.आर. बोम्मई नरिणय (1994):
 - इस नरिणय के माध्यम से शत्रुतापूरण केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बरखासतगी पर रोक लगा दी गई।
 - नरिणय में कहा गया कवधिनसभा का पटल ही एकमात्र ऐसा मंच है जहाँमौजूदा सरकार के बहुमत का परीक्षण कया जाना चाहयि, न कराज्यपाल की व्यक्तपिरक राय के आधार पर।
- वेंकटचलैया आयोग (2002):

- राज्यपालों की नयुक्त एक समिति द्वारा की जानी चाहिये जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
- राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिये, जब तक कि सिद्धि दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिया जाए।
- केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की किसी भी कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिये।
- राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। उसे राज्य सरकार के मंत्रि, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिये तथा अपनी विकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिये।
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006):**
 - यह पता चलने के बाद कि राज्यपाल ने बहिर में राष्ट्रपति शासन की सफ़िराशि करने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल का प्रेरित और मनमाना आचरण न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
 - हालाँकि रामेश्वर प्रसाद मामले में इस पर वचिर नहीं किया गया कि गैर-संवैधानिक रुख एवं कथनों के लिये राज्यपाल छूट या प्रतरिक्षा का दावा कर सकता है या नहीं।
- **पुंछी आयोग (2010):**
 - आयोग ने संवधान से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' वाक्यांश—जसिका अर्थ यह है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है, को हटाने की सफ़िराशि की।
 - आयोग ने सुझाव दिया कि इसके बजाय राज्यपाल को केवल राज्य वधानमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जाना चाहिये, जो राज्यों के लिये अधिक स्थिरता एवं स्वायत्तता सुनिश्चित करेगा।
- **बी.पी. सधिल बनाम भारत संघ (2010):**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि राष्ट्रपति किसी भी समय और बनिा कोई कारण बताए राज्यपाल को हटा सकता है।
 - ऐसा इसलिये है क्योंकि राज्यपाल भारत के संवधान के अनुच्छेद 156(1) के तहत 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद पर बना रहता है। हालाँकि, न्यायालय ने यह भी माना कि भिनमाने, मनमौजी या अनुचित आधार पर उसे नहीं हटाया जा सकता।
- **नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016):**
 - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बी.आर. अंबेडकर की टपिपणियों का हवाला दिया जहाँ कहा गया है कि "संवधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जसि वह स्वयं नषिपादति कर सके; एक भी कार्य नहीं।"
 - "हालाँकि उसके पास कोई कार्य नहीं है, उसे कुछ करतव्य नषिने होते हैं और सदन इस अंतर को ध्यान में रखे तो उपयुक्त होगा।"
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि संवधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने मंत्रपरिषद की सलाह के वरिद्ध या उसके बनिा कार्य करने की सामान्य विकाधीन शक्ति नहीं सौपता है।
- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दलिली बनाम भारत संघ (2018):**
 - सर्वोच्च न्यायालय की एक संवधान पीठ ने 'संवैधानिक संस्कृति' की धारणा के आधार पर 'संवधान के नैतिक मूल्यों' की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया।
 - न्यायालय ने कहा कि "संवैधानिक नैतिकता उन व्यक्तियों को जमिमेदारियों और करतव्य सौपती है जो संवैधानिक संस्थानों और कार्यालयों में पदभार रखते हैं।"
 - राज्यपालों को यह पहचान करनी चाहिये कि उनके कृत्य संवैधानिक नैतिकता को प्रदर्शति करते हैं या नहीं।
- **कौशल कशिोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023):**
 - न्यायालय ने कहा कि सरकारी कार्यकारियों की अभवियक्ति की स्वतंत्रता को संवधान के अनुच्छेद 19(2) द्वारा अनुमत 'युक्तियुक्त नरिबंधों' के अलावा किसी अन्य माध्यम से कम नहीं किया जा सकता है।

नषिकरष:

भारत में राज्यपालों की भूमिका पर जारी चर्चा सूक्ष्म सुधारों की आवश्यकता को रेखांकति करती है। जबकि इस पद के पूर्णरूपेण उन्मूलन को अवविकपूर्ण माना जाता है, पारदर्शी नयुक्तियों, जवाबदेही की वृद्धि और सीमति विकाधीन शक्तियों के प्रस्ताव सामने रखे गए हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कथि बनिा राज्यपाल के पद के प्रभावी कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये राज्य और केंद्रीय हतियों के बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि राज्यपाल का संवैधानिक पद 'केंद्र का एजेंट' होने की ओर झुक गया है? राज्यपाल और राज्य वधियिका के बीच टकराव के प्रमुख बढिओं की भी चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरिपति करने के लिये रपौरट भेजना।
2. मंत्रियों की नयुक्ति करना।
3. राज्य वधानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लिये आरक्षति करना।
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नयिम बनाना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) दिल्ली के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/governors-in-the-limelight-calls-for-reform-in-india>

